न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 07 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 180

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
जेताराम पुत्र तेजाराम, जाति–कलबी, निवासी–छजारा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

स्थगन प्रार्थना–पत्र

तारीख रजु :– 13.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 27.03.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने खसरा नंबर पुराने 81 सरहद मौजा छजारा की शुद्धि का प्रार्थना–पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो ठोस आधार पर होने से जीत की पूर्ण संभावना है। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने पुराने खसरा नंबर 81 से नवसृजित खसरा नंबर 189, 190 / 639 बनाये गये है जिसका नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी के पुराने खसरा नंबर 81 का एक कौणा खसरा नंबर पुराने 79 एवं 80 से मिलता था जो पुराने नक्शा ट्रैश माफिक खसरा नंबर 79, 80, 81 का एक कौणा मिलता है लेकिन नवीन पैमाईश अधिकारियों ने प्रार्थी के खसरा नंबर 81 से नवसृजित खसरा नंबर 189 जिसका नर्मदा नहर की वितरिका निकलने के बाद खसरा नंबर 1027 / 774 बना है जिसको पुराना नक्शा ट्रैश अनुसार तरमीम न कर खसरा नंबर 1027 / 774 की पश्चिमी माठ पर प्रार्थी के खेत में गौचर भूमि के खसरा नंबर 820 / 190 में मिलाकर तरमीम कर दी जो पुराने नक्शे अनुसार नहीं होने के कारण प्रार्थी की मौके पर जमीन कम कर दी जो इन्द्राज पुराने रेकर्ड व नक्शा ट्रैश अनुसार न होने से निरस्त योग्य है। छजारा से नया राजस्व गांव प्रहलादनगर नवसृजित होने पर पुराने खसरा नंबर 79 व 80 से नवसृजित खसरे प्रहलादनगर में स्थित है तथा खसरा नंबर 81 से नवसृजित खसरे छजारा में स्थित है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि श्रीमान प्रार्थी के मुल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि प्रार्थी की सरहद मौजा प्रहलादनगर के खेत खसरा नंबर 820 / 190 नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित 'ए' से 'बी' भाग की भूमि जो कि प्रार्थी की पैतृक संपति के खेत

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

खसरा नंबर 1027/774 का भूभाग होने से तथा पीढ़ीयों से प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित 'ए' से 'बी' भाग पर किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो अप्रार्थी संवय करें तथा न ही अन्य किसी से करावें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का प्रार्थी को बिना सुने कोई रास्ता निकाले व न ही रेकर्ड में किसी प्रकार से कोई तरमीम की जावें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर